भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2044
दिनांक 14 दिसम्बर, 2023

इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड

†2044.**श्री घनश्याम सिंह लोधी :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) को कितनी धनराशि आवंटित और संवितरित और इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार मंत्रालय के अंतर्गत नियमित अंतराल पर इन योजनाओं की प्रगति की संपरीक्षा और निगरानी करती है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे निगरानी संरचनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ड.) परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) राष्ट्रीय गैस ग्रिड (एनजीजी) के विकास के भाग के रूप में सरकार ने एनईजीजी को निष्पादित करने के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) को 5,559 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता में कमी संबंधी निधि (वीजीएफ) प्रदान करने के जरिए नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड (एनईजीजी) को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है। वित्त वर्ष 2023-24 तक आईजीजीएल को 2977.93 करोड़ रु. वितरित किए गए हैं और इस राशि का इस्तेमाल परियोजना के निष्पादन में किया गया है।

(ख) से (ड.) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) प्राकृतिक गैस पाइप लाइनें बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने और विस्तार करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। प्राधिकरण प्रदान करने के बाद पीएनजीआरबी प्राधिकृत पाइपलाइनें समय पर पूरी हों, इसके लिए पाइपलाइन परियोजनाओं की लगातार निगरानी करता है। इसके अलावा, पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 तथा इसके तहत बनाए गए विनियमनों में भी प्रदान किए गए लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने पर शास्ति लगाए जाने का प्रावधान है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एनजीपीएल) प्राधिकार संबंधी विनियमनों के तहत नियमित सुनवाइयां की जाती हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा संरचित समीक्षाओं तथा क्षेत्र के दौरों के माध्यम से कार्य की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। परियोजना कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिए सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। समिति नियमित आधार पर परियोजना की

प्रगति की समीक्षा करती है। यह परियोजना सक्षम प्राधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा के लिए प्रगति और पीएम गति शक्ति पोर्टलों में भी पंजीकृत है। इसके अलावा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वार्षिक आधार पर आईजीजीएल का ऑडिट करते हैं। मंत्रालय भी योजनाओं की निगरानी करता है और आवधिक रूप से समीक्षा करता है। परियोजना समय पर पूरी हो, इसके लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में भूमि उपलब्ध करवाने तथा सभी आवश्यक अनुमतियां प्रदान करने, भूमि अधिग्रहण में मदद और नियमित समीक्षा आदि के लिए राज्यों के साथ समन्वय करते हुए पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (पीएमपी) अधिनियम की धारा 3(1) और 6(1) के तहत समय पर अधिसूचना जारी करना शामिल हैं।

***